कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज, जनपद–देवरिया

पत्रांक /2015 न0पा0प0 (2015–16) दिनांक : 17.4.2015

निलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के विभिन्न वार्डों में नवनिर्मित सामुदायिक शुलभ शौचालयों के रख–रखाव एवं अनुरक्षण हेतु ठेका के जरिए निलामी दिनांक– 28.04.2015 को अपराहन 12.00 बजे से कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज में की जायेगी। निलामी में सम्मलित होने वाले इच्छुक व्यक्तियों को निर्धारित जमानत धनराशि जमा करने के बाद बोली में भाग लेने दिया जायेगा। समयानुसार बोली प्रारम्भ होने के पश्चात कोई जमानत धनराशि स्वीकार नहीं की जायेगी। नियानुसार निर्धारित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर ठेकेदार द्वारा अपने खर्चे से अनुबन्ध पत्र भरना होगा। नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के किसी भी बकायेदार को बोली बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। निलामी में किसी भी प्रकार का अस्त्र–शस्त्र लेकर बोली में भाग लेना वर्जित है। निलामी की अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज में उपस्थित होकर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। निलामी हेतु नवनिर्मित सामुदायिक शौचालयो का विवरण निम्नप्रकार है।

कम सं0	नवनिर्मित शौचालयों का नाम	जमानत धनराशि	दर	निलामी की अवधि
1	मेन रोड बरहज–देवरिया लकड़ी हट्टा में सामुदायिक शुलभ शौचालय निर्माण कार्य, वार्ड सं0–18	2000.00	3/रू0– प्रति व्यक्ति प्रतिवार	स्वीकृत तिथि से तीन वर्षो के लिए
2	नन्दलाल चौहान के मकान के पीछे सामुदायिक शुलभ शौचालय निर्माण कार्य, वार्ड सं0–22, पुराना बरहज,	2000.00		
3	भरमल गोंड़ के मकान के पास सामुदायिक शुलभ शौचालय निर्माण कार्य, वार्ड सं0–19, पटेल नगर	2000.00		
4	कैलाश बाबा के मकान के पास सामुदायिक शुलभ शौचालय निर्माण कार्य, वार्ड सं0–08, आजाद नगर दक्षिणी	2000.00		
5	अच्छेलाल निषाद के हाता के बगल सामुदायिक शुलभ शौचालय निर्माण कार्य, वार्ड सं0–15, पटेल नगर,	2000.00		
6	उमाशंकर हरिजन के मकान के बगल में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य, वार्ड सं0– 15, पटेल नगर,	2000.00		

नियम व शर्ते

1. उपरोक्त शौचालयों की निलामी की अवधि 01.05.2015 से 31.03.2018 के लिए होगी।
2. नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के किसी भी बकायेदार या अससे सम्बन्धित परिवार के किसी सदस्य को बोली बोलने का अधिकार नहीं होगा।
3. सबसे अधिक बोली बोलने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. बोली प्रारम्भ होने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का होना नितान्त आवश्यक है तथा निलामी शुरू होने के पुर्व ठिकेदार को निर्धारित जमानत धनराशि पालिका मे नगद जमा कर पंजिकरण कराना होगा। बोली समाप्त होने के पश्चात सबसे अधिकतम बोली बोलने वाले की जमानत धनराशि रोक कर शेष बोली दाता की जमानत धनराशि तत्काल वापस कर दी जायेगी।
5. बोली बोलने वाले को अपने साथ सिर्फ एक व्यक्ति को साथ लेकर बोली बोल सकता है किन्तु बोली बोलने वाले अथवा साथ वाला कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र नहीं ला सकता है।
6. अन्तिम बोली के पश्चात अधिकतम बोली बोलने वाले ठिकेदार को सम्पूर्ण धनराशि का 1/2 भाग की धनराशि (जमानत धनराशि को छोड़कर) तत्काल जमा करना होगा तथा शेष 1/2 भाग की धनराशि माह जुलाई 2015 से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। धनराशि न जमा करने की स्थिति में ठिकेदार की जमानत धनराशि जब्त करते हुए सम्पूर्ण बोली निरस्त कर दी जायेगी। जिसका उत्तरदायित्व ठिकेदार का होगा।
7. निलामी को बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी/निलामीकर्ता को सुरक्षित है।
8. निलामी की सर्वोच्च बोली निलामी के दिन निर्णित होने पर तथा शर्त के अनुसार धनराशि जमा करने के बाद ठेकेदार को इस नगरपालिका द्वारा 01.05.15 से वसूली हेतु अधिकृत पत्र दिया जायेगा।
9. पालिका द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही वसूली करनी होगी। निर्धारित दर से अधिक वसूली करने या वसूली सम्बन्धी किसी भी प्रकार की शिकायत की पुष्टि होने पर ठेकेदार का ठेका अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमानत की धनराशि तथा कुल जमा धनराशि का प्रतिदिन के औसत धनराशि के अनुसार वसूली प्रारम्भ होने से वसूली में प्राप्त अनियमितता एवं उसकी पुष्टि के दिनांक जो भी आनुपातिक रूप से धनराशि होगी उसे काटकर शेष धनराशि ठेकेदार को वापस करने की कार्यवाही की जायेगी।